

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 124/2023 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)
पीएनबी हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय- प्लॉट नं. एसबी-59, यूडीवी टॉवर, प्रथम
मंजिल, नगर निगम ऑफिस के सामने, टोक रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

- श्री गोपीनाथ वर्मा,
पता -81/02, पशुपति नाथ नगर, हल्दीघाटी मार्ग, सुयोग्य अपार्टमेंट, प्रताप नगर, सांगानेर,
जयपुर।
एवं स्मॉल बिजनेस फिनक्रेडिट प्रा. लि., 101 व 102, सफायर सेन्टर, एसीक हॉस्पिटल के सामने,
अजमेर रोड, जयपुर।
एवं प्लेट नं. जी-2, प्लॉट नं. 4, इन्द्र विहार, चक गेटोर, जगतपुरा, जयपुर।
- श्रीमती अंशु सोनी,
पता -81/02, पशुपति नाथ नगर, हल्दीघाटी मार्ग, सुयोग्य अपार्टमेंट, प्रताप नगर, सांगानेर,
जयपुर।
एवं प्लेट नं. जी-2, प्लॉट नं. 4, इन्द्र विहार, चक गेटोर, जगतपुरा, जयपुर।
एवं जयपुरिया इनकार्पोरेशन, प्लॉट नं. 20 ए, चन्दन विहार, 6 नं. बस स्टेण्ड, प्रताप नगर,
जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

- श्री विनोद खाण्डल, अधिवक्ता, प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.02.2023

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.10.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती अंशु सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नं. जी-2, भूतल, प्लॉट नं. 4, इन्द्र विहार, चक गेटोर, तहसील सांगानेर, जगतपुरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 26,45,949/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

17.11.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 26,45,949/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 27,15,065.11/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.11.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती अंशु सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नं. जी-2, भूतल, प्लॉट नं. 4, इन्द्र विहार, चक गेटोर, तहसील सांगानेर, जगतपुरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर



6. आदेश आज दिनांक 24.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर